**न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | – | शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) |
| फौजदारी अपील संख्या | – | 238/2019 |
| सी.आई.एस. संख्या | – | 71/2018 |
| सी.एन.आर. संख्या | - | RJAJ170005122018 |

शंकरगिरी पुत्र श्री रामगिरी निवासी वार्ड नं. 7. श्रीजी का मोहल्ला, कस्बा अरांई पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर (राज)

**–अपीलार्थी/अभियुक्त**

**ब ना म**

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)

**–रेस्पोडेन्ट**

**फौजदारी अपील अंतर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2018, जो विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, किशनगढ़, जिला अजमेर के पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण शर्मा, द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 628/2017 (21/2005) उनवान सरकार बनाम शंकरगिरी में पारित किया गया।**

**उपस्थित –**

1. अपीलार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री रामधन पोषक।
2. प्रत्यर्थी की ओर से – अपर लोक अभियोजक श्री पदमराज सैनी।

**– :: निर्णय :: –**

**दिनांक ::– 13.06.2026**

1. प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से यह फौजदारी अपील विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. **628/2017 (21/2005) उनवान सरकार बनाम शंकरगिरी** में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2018 से व्यथित होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01, किशनगढ़, जिला अजमेर में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेश

क्रमांक/अंतरण/2018/783 दिनांक 18.12.2018 की अनुपालना में दिनांक 05.03.2019 को अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार दर्ज किया गया।

2. प्रकरण के **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार है कि परिवादी रामधन ने पुलिस थाना अरांई में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 2 इस आशय की पेश कर दर्ज करवायी कि अजमेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा अरांई से इस समिति के बचत खाते की चैक बुक नम्बर 11201 से 11225 तक की चैक बुक शंकरगिरी गोस्वामी, जो समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्य करता था, तब उसने बैंक से प्राप्त की थी। उसके बाद शंकरगिरी गोस्वामी को समिति ने सेवाओं से पृथक कर दिया था। समिति ने शंकरगिरी गोस्वामी को दिनांक 19.01.2000 को ही पृथक कर दिया था लेकिन शंकरगिरी ने आज तक समिति का मूल रेकार्ड जैसे चालू रोकड़ पुस्तिका कार्यवाही रजिस्टर, बैंक चैक बुकें, रसीद बुकें आदि चार्ज में नहीं संभलायी। दिनांक 19.6.2001 को समिति के बचत खाते का चैक नम्बर 11215 दिनांक 11.5.2001 का स्वयं शंकरगिरी गोस्वामी के नाम से उनके फर्जी हस्ताक्षरों से 97,000/–रुपये चैक द्वारा बैंक ऑफ बडौदा अरांई के अजमेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा अरांई में उक्त चैक को भुगतान हेतु शाखा अरांई को प्राप्त हुआ, जिसकी जानकारी शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा अरांई ने दी। इस प्रकार से शंकरगिरी द्वारा समिति के 97,000/–रुपये की राशि हड़पने का प्रयास किया, आदि। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 40/2001 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान उसके विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्त शंकरगिरी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस चार्ज सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं

“Authenticated Document”

समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप सुन–समझकर अपराध अस्वीकार कर दिया एवं अन्वीक्षा चाही तथा सहअभियुक्त कोल प्रकाश के विरूद्ध उसकी मृत्यु होने के कारण दिनांक 12.07.2016 को कार्यवाही ड्राप की गई। अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के तहत पी.डब्लू 1 लालचन्द, पी.डब्लू 2 रामधन, पी.डब्लू 3 रामचन्द्र, पी.डब्लू 4 कैलाशचन्द, पी.डब्लू 5 विनोद कुमार, पी.डब्लू 6 रामसिंह, पी.डब्लू 7 चैनाराम, पी.डब्लू 8 रामचन्द्र, पी.डब्लू 9 भागचन्द, पी.डब्लू 10 रामकुमार, पी.डब्लू 11 झूझाराम, पी.डब्लू 12 भगवानसिंह, पी.डब्लू 13 किशना, पी.डब्लू 14 सज्जनसिंह, पी.डब्लू 15 गोपाल लाल, पी.डब्लू 16 संग्रामसिंह, पी. डब्लू 17 लक्ष्मणराम के कथन लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 35 प्रदर्शित करवाये गये।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य पूर्ण करने पर अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध आये बयानों को गलत होना बताया एवं कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य सफाई बन्द की जाकर पत्रावली बहस अन्तिम हेतु नियत की गई।

4. अंत में बहस अंतिम सुनी जाकर **अभियुक्त शंकरगिरी** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को अपराध अंतर्गत **धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/– रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का साधारण कारावास, **धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता** में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का साधारण कारावास, **धारा 468 भारतीय दण्ड संहिता** में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का साधारण कारावास, **धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता** में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10

हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का साधारण कारावास व **धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता** में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

5. उक्त निर्णय/दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा इन **आधारों** पर अपील प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य न होने के बावजूद कयासी खयालों पर आधारित होकर उक्त दण्डादेश पारित करने में गम्भीर भूल की है। परिवादी पी.डब्लू 2 रामधन द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 2 व चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श 3 में परिवादी ने असत्य, झूठे कथनों का आपसी रंजिश से फंसाने का उल्लेख करते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है तथा उक्त गवाह पी.डब्लू 2 रामधन ने अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि मुलजिम को उसने फर्जी दस्तख्त कर, चैक भरकर बैंक में प्रस्तुत करते हुए नहीं देखा, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श 2 व पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में मैंने यही बात लिखाई थी पुलिस ने क्यों नहीं लिखी, मुझे पता नहीं। बैंक में किस तिथि मिती वार को मैं गया, मुझे याद नहीं, बैंक वालों ने कब बुलाया था मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। प्रदर्श 2 तहरीरी रिपोर्ट बैंक वालों ने लिखवायी थी। मेरे केवल हस्ताक्षर करवाये थे, उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी उन्होंने मुझे नहीं सुनाया, चैक किसने लगाया मुझे पता नहीं, चैक पर किसने फर्जी हस्ताक्षर किये पता नहीं, यह चैक भरकर किसने पेश किया पता नहीं, चैकबुक कब किसने जारी करायी, मुझे पता नहीं। शंकरगिरी व्यवस्थापक किस तारीख को हटा, तारीख याद नहीं। चैक के नम्बर मेरे हस्ताक्षर शुदा है उसके नम्बर मुझे याद नहीं है। उक्त गवाह ने प्रदर्श पी 2 व प्रदर्श पी 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट का अपने सशपथ कथनों में साक्ष्य के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं तथा उक्त गवाह द्वारा स्थिर रूप से निश्चयात्मक रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध साक्ष्य ना देने

एवं उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 व पी 3 का अपने कथनों से संपुष्ट न करने, समर्थित ना करने के कारण अभियोजन ने उक्त साक्षी को साक्ष्य के दौरान प्रश्नगत चैक दिखाकर उसका मुख्य परीक्षण नहीं करवाया यानी उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन ना करने से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रश्नगत चैक साक्ष्य में टेण्डर कर प्रदर्शित नहीं करवाया है न ही अपीलार्थी के बैंक में मौजूद नमूना हस्ताक्षर को भी टेण्डर कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाह से टेण्डर कर प्रदर्शित नहीं करवाये हैं तथा उक्त गवाह ने अभियोजन की कहानी आरोपों का कतई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह पी.डब्लू 2 से प्रश्नगत चैक व अपने नमूना हस्ताक्षर दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य का लोप किया है। प्रदर्श 6 जो कि चैक जमा कराने की पर्ची है, इस पर्ची पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। पुलिस ने इस पर कोई अनुसंधान नहीं किया कि वास्तव में किसने शंकरगिरी के खाते में चैक जमा करवाया। वास्तविक स्थिति यह है कि शंकरगिरी के विरूद्ध पी.डब्लू 2 व कुछ लोग रंजिश रखते थे। रंजिशवश इस फर्जी रसीद के माध्यम से चैक शंकरगिरी के खाते में जमा कराने का प्रयास किया। शंकरगिरी ने कोई अपराध नहीं किया है। इतना ही नहीं, अगर प्रश्नगत चैक बैंक ऑफ बड़ौदा में भुगतान हेतु जमा कराया जाता तो उक्त बैंक के सहायक प्रबन्धक विनोद कुमार जैन पी.डब्लू 5 द्वारा अपीलार्थी के खाते में उक्त चैक का अवश्य अंकन किया जाता एवं चैक बिना भुगतान के वापस लौट आने पर चैक रिटर्न चार्ज 56/– रुपये का अवश्य अपीलार्थी के खाते में डेबिट किया जाता। उक्त प्रकरण में पी. डब्लू 5 विनोद कुमार द्वारा दौराने अनुसंधान अपीलार्थी के खाते को प्रस्तुत ही नहीं किया है ना ही खाले बाबत कोई बयान दिये गये हैं। पी.डब्लू 1 लालचन्द ने अपने बयानों में यह कथन किये हैं कि अपीलार्थी ने चैक के साथ एक पर्ची भी दी, जिस पर शंकरगिरी ने दस्तखत करके दी थी। ऐसी शंकरगिरी की दस्तखतशुदा पर्ची अनुसंधान में जब्त नहीं की गई है। इस तरह से उक्त गवाह झूठा साबित होने के बावजूद उसके कथनों पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करने में गम्भीर भूल

की है। पी.डब्लू 3 रामचन्द्र जांगिड़, जो कि तथाकथित सहकारी समिति का अपने को उपाध्यक्ष बताता है उसने अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दी है कि अपीलार्थी शंकरगिरी को हटाने के बाद समिति के सारे कागजात, चैकबुक आदि पी.डब्लू 15 गोपाल व्यवस्थापक के पास ही चले आ रहे हैं। पुलिस ने मेरे बयान ही नहीं लिये, मुकदमें में जब्त चैक मुझे पुलिस ने नहीं दिखाया। उक्त गवाह अभियोजन की कहानी का कतई समर्थन नहीं करता है, बल्कि उक्त गवाह के कथन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि तथाकथित चैकबुक व्यवस्थापक गोपाल के पास ही थी, ऐसी स्थिति में चैकबुक से प्रश्नगत चैक अपीलार्थी शंकरगिरी के पास आने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्ष्य का विवेचन न कर मनमाने ढंग से उक्त दण्डादेश पारित करने में गम्भीर भूल की है। पी.डब्लू 4 कैलाश राव जिसको अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी 4 फर्द जब्ती के गवाह के रूप में फर्द जब्ती को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत करने पर उक्त गवाह ने अपनी जिरह के कथनों में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी है कि मैंने पुलिस वालों के कहने पर प्रदर्श पी 4 पर हस्ताक्षर किए थे, चैक नंबर मैं नहीं बता सकता, इस प्रकार उक्त गवाह ने प्रदर्श 4 को कतई सिद्ध नहीं किया है। प्रदर्श पी 8 में अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई राय न होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दण्डादेश पारित करने में गंभीर भूल की है। अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दण्डादेश पारित करने में गंभीर भूल की है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की उक्त अपील मंजूर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2018 को पारित निर्णय को अपास्त, निरस्त किए जाने बाबत निवेदन किया।

6. बहस अपील उभयपक्ष सुनी गयी।

7. दौराने बहस **अधिवक्ता अभिलार्थी/अभियुक्त** ने कथन किया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भूल में आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। साक्ष्यों का विधि अनुसार विवेचना नहीं किया

गया है। परिवादी रामधन ने अपनी साक्ष्य में अपनी लिखित रिपोर्ट की ताईद नहीं की है। चैक पर किसने फर्जी हस्ताक्षर किए, जानकारी नहीं होना, चैक बुक किसने जारी कराई पता नहीं होना, चैक भर कर किसने पेश किया, पता नहीं होना बताया है। अभियुक्त शंकर गिरी को व्यवस्थापक के पद से किस तारीख को हटाया, याद नहीं होना बताया। यहां तक की प्रदर्श पी. 2 तहरीरी रिपोर्ट बैंक द्वारा लिखाया जाना, स्वयं के केवल हस्ताक्षर होना, उसमें क्या लिखा है उसे नहीं सुनाए जाने का कथन करते हुए लिखित रिपोर्ट की लैशमात्र भी ताईद नहीं की है। चैक को देखकर उस पर उसके हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं करवाई गई है। जो बैंक पर्ची प्रदर्श पी. 6 चैक जमा करने बाबत साक्ष्य में पेश की गई है, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। पुलिस ने इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया है कि किसने शंकर गिरी के खाते में चैक जमा करवाया। प्रश्नगत चैक बैंक में पेश किया जाता तो उस पर सहायक प्रबंधक द्वारा अपने खाते में अपीलार्थी के खाते में उक्त चैक का अवश्य अंकन किया जाता, रिटर्न चार्ज 56/–रुपये अपीलार्थी के खाते में डेबिट किए जाते, जबकि ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है ना ही अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई खाता साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। गवाह पी.ड. 1 लालचंद ने शंकर गिरी द्वारा दस्तखत करके पर्ची चैक के साथ देना बताया है, परंतु ऐसी कोई पर्ची अनुसंधान में जब्त नहीं की गई है, जिस पर शंकर गिरी के हस्ताक्षर हो। उक्त गवाह की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। गवाह ने चैक पर कुलदीप कुमार के हस्ताक्षर करना बताया है। कुलदीप कुमार नाम के व्यक्ति के कोई हस्ताक्षर चैक पर नहीं है। गवाह ने चैक पर किसके हस्ताक्षर हैं, देखें जाने से इनकार किया है। चैक में कितने रुपए लिखे थे, क्या नंबर थे, देखें जाने से इनकार किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी, बावजूद उसके अधीनस्थ न्यायालय ने उसके कथनों पर विश्वास करते हुए दण्डादेश पारित किया है। उक्त गवाह से प्रश्नगत चैक व तथाकथित पर्ची प्रदर्श पी. 6 को अभियोजन द्वारा टेंडर नहीं किया गया है ना ही उक्त गवाह से उसे प्रदर्शित करवाया गया है। अतः जो दस्तावेज चैक व पर्ची पेश किए गए हैं, उनके संबंध में ही गवाह ने कथन किए हो, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

पर्ची प्रदर्श पी. 6 पर हस्तलेख की एफएसएल जांच नहीं करवाई गई है। इस प्रकार से निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया गया है। गवाह पी.ड. 3 रामचंद्र समिति का उपाध्यक्ष होना बताता है, ने अपीलार्थी शंकर गिरी को हटाने के बाद समिति के सारे कागजात, चैक बुक आदि पी.ड. 15 गोपाल लाल व्यवस्थापक के पास में होना बताया है व स्वयं के पुलिस बयान नहीं लिए जाने बाबत चैक उसे दिखाया नहीं जाना बताते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह की साक्ष्य के अनुसार चैक बुक व्यवस्थापक गोपाल लाल के पास ही थी। अपीलार्थी शंकर गिरी के पास आने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता फिर भी न्यायालय ने साक्ष्य का मनवाने ढंग से विवेचन कर दण्डादेश पारित करने में गंभीर भूल की है। फर्द जब्ती के गवाह ने जब्ती की पुष्टि नहीं की है, खाली कागजात पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है। गवाह पी.ड. 5 विनोद कुमार, सहायक प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने चैक जमा करने वाले व्यक्ति को पहचानने से इनकार किया है। इस प्रकार जबकि बैंक पर्ची पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है ना ही एफएसएल रिपोर्ट में चैक पर शंकर गिरी के हस्ताक्षर के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया गया है ना ही शंकर गिरी के चैक पर हस्ताक्षर है, इसकी पुष्टि हुई है। चैक पर अंकित इबारत व हस्ताक्षर शंकरगिरी के हस्तलेख में हो, इस तथ्य की पुष्टि भी एफएसएल से नहीं होती है। एफएसएल में विवादित हस्ताक्षरों की जांच स्वीकृत हस्ताक्षरों से नहीं की गई है, केवल स्पेसिमैन हस्ताक्षर (नमूना हस्ताक्षर) से की गई है, जबकि विवादित हस्ताक्षरों की तुलना बैंक में प्रस्तुत निर्विवादित स्वीकृत हस्ताक्षर प्रदर्श पी. 25 व 26 से तुलना के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त शंकर गिरी को उसके पद से कब हटाया गया, इस संबंध में कोई हटाने का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श पी. 35ए उपरजिस्ट्रार कार्यालय का आदेश दिनांक 22.08.2001 पेश किया गया है परंतु उक्त आदेश में समिति की प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा आरोपी की सेवा समाप्त करने व आमसभा द्वारा उसकी पुष्टि होने से उनके निर्णय की पुष्टि करते हुए आरोप पत्र को प्रभाव शून्य होना बताया है, परंतु समिति की प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा किस आधार

पर अपीलार्थी की सेवा समाप्त की गई, इस संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है ना ही आम सभा में कोई पुष्टिकारक निर्णय साक्ष्य में पेश किया गया है ना ही विवादित पद से हटाने का प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है ना ही उपरजिस्ट्रार को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है। जहां तक अपीलार्थी के चार्ज में चैक बुक होने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। उक्त चैक बुक कब व किसके द्वारा जारी करवाई गई इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चैक बुक जारी करवाई गई हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। दस्तावेज प्रदर्श पी. 33 पुराना बंद रिकॉर्ड में चैक बुक 3 अंकित है, परंतु उक्त रिकॉर्ड चालू नहीं है ना ही चैक बुक के चैक संख्या का कोई अंकन है। चालू रिकॉर्ड की चार्ज लिस्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई चैक बुक प्राप्त की हो उसका अंकन नहीं है। दिनांक 09.08.1999 को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा भागचंद को चार्ज देने का रिकॉर्ड पेश किया गया है। उक्त रिकॉर्ड में चार्ज लेने वाले भागचंद द्वारा ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा चैक बुक को उसे चार्ज में नहीं दिया गया या चैक बुक मिसिंग है। इसके अतिरिक्त भागचंद गवाह पी.ड. 9 भागचंद ने अपनी साक्ष्य में अतिरिक्त मुख्य व्यवस्थापक का चार्ज लेने का लिखित आदेश नहीं होना बताया है। उसके द्वारा चार्ज किस आधार पर लिया गया, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है अर्थात शंकर गिरी के बाद भागचंद को अतिरिक्त मुख्य व्यवस्थापक नियुक्त किया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। यद्यपि उक्त गवाह ने स्वयं का अतिरिक्त मुख्य व्यवस्थापक होना बताया है। समिति का कोई रिकॉर्ड नहीं संभलाने का कथन किया है, परंतु दस्तावेजी साक्ष्य में उसके द्वारा रिकॉर्ड लिए जाने का अंकन है। उक्त गवाह की साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य से विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने समिति का रिकॉर्ड ऑडिटर रामलाल द्वारा जब्त किया जाना, जिसे सज्जन सिंह के पास रखे जाने का कथन किया है व स्वयं द्वारा चार्ज लिए जाने से इनकार किया गया है, जबकि सज्जन सिंह पी.ड. 14 ने अपनी साक्ष्य में एक बार गोपाल लाल व्यवस्थापक से चार्ज लेना बताया है तथा फिर साक्ष्य बदलते हुए स्वयं के

पास रिकॉर्ड चार्ज में नहीं आने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाहन की साक्ष्य विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज प्रदर्श पी. 29 जो गोपाल लाल व्यवस्थापक द्वारा बैंक में चैक बुक सं. 11201 से 11225 का भुगतान नहीं करने के संबंध में लिखा था कि चैक बुक शंकर गिरी के चार्ज में है, उसके द्वारा दी नहीं गई है। उसका भुगतान नहीं करने का कथन किए जाने से दस्तावेज प्रदर्श पी. 29 के आधार पर दोषसिद्धि की गई है, परंतु गोपाल लाल पी.ड. 15 ने अपनी साक्ष्य में शंकर गिरी द्वारा चैक बुक अमर सिंह राठौड़, जो उससे पूर्व व्यवस्थापक है, उसको चार्ज में नहीं दिया जाना व अमर सिंह द्वारा उक्त चैक बुक को गवाह को चार्ज में नहीं दिए जाने का कथन किया है, जिससे प्रकट होता है कि उक्त गवाह से पूर्व व्यवस्थापक अमर सिंह राठौड़ थे व अमर सिंह द्वारा उक्त चैक बुक गोपाल लाल को नहीं दी गई। उक्त साक्ष्य से यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि शंकर गिरी के कब्जे में उक्त चैक बुक रही हो। अमर सिंह को बतौर गवाह साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। गोपाल लाल कब व्यवस्थापक बना, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं है। बैंक मैनेजर झूझाराम ने व्यवस्थापक के हस्ताक्षर नहीं होने से चैक को अनादरित करने की रिपोर्ट की है, परंतु बैंक में व्यवस्थापक के बतौर किसके नमूना हस्ताक्षर प्रेषित किए गए थे, इस साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाए गए हैं। चैक बैंक में प्रस्तुत करते समय व्यवस्थापक कौन था, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त स्वयं गवाह पी.ड. 15 गोपाल लाल ने अमर सिंह राठौड़ द्वारा ही चार्ज लिया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में अमर सिंह राठौड़ महत्वपूर्ण गवाह था, परंतु उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारी समिति के उपाध्यक्ष पी.ड. 3 रामचंद्र ने शंकर गिरी को हटाने के बाद समिति के सारे कागज, चैक बुक गोपाल लाल, व्यवस्थापक के पास होना बताया है। अभियोजन द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, उसमें दस्तावेज प्रदर्श पी 33 के अनुसार चार्ज रिकॉर्ड भागचंद को दी गई है। गोपाल लाल ने पूर्व व्यवस्थापक अमर सिंह से चार्ज लेना बताया है। भागचंद ने सज्जन सिंह के पास जो की ऋण पर्यवेक्षक था, ऑडिटर

रामलाल द्वारा रिकॉर्ड जब्त कर उसके कब्जे में देना बताया है। इस प्रकार समस्त गवाहान ने रिकॉर्ड भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के पास चार्ज में होना बताया है। शंकर गिरी के पास चार्ज में चैक बुक रही हो ऐसी कोई साक्ष्य किसी ने नहीं दी है। चैक पर हस्ताक्षर फर्जी शंकर गिरी द्वारा करने का आरोप है, परंतु उक्त विवादित चैक प्रदर्श पी. 5 पर शंकर गिरी नाम के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अंकित इबारत क्यू–4 व अन्य हस्ताक्षरों की तुलना एफएसएल में स्पेसिमैन हस्ताक्षरों से किए जाने की रिपोर्ट है, जिसमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर राय दिया जाना संभव नहीं होना बताया है, जिससे प्रकट है कि उक्त दस्तावेजों प्रदर्श पी. 5 पर लिखी इबारत व हस्ताक्षर अभियुक्त के हस्तलेख में होना प्रमाणित नहीं है। बैंक पर्ची प्रदर्श पी. 6 की इबारत की एफएसएल जांच नहीं करवाई गई है ना ही उस पर कोई हस्ताक्षर है कि वह किसके द्वारा जमा करवाई गई है ना ही बैंक का कोई पृष्ठांकन है कि वह किस व्यक्ति द्वारा जमा करवाई गई है। गवाह पी.ड. 5 विनोद कुमार, सहायक प्रबंधक ने अपनी साक्ष्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शंकर गिरी को पहचानना बताया है व उसके द्वारा चैक बैंक में जमा करने का कथन किया है। उक्त गवाह व्यक्तिगत रूप से शंकर गिरी को जानता हो, इस तथ्य से इनकार किया है ना ही उक्त गवाह से अभियुक्त की शिनाख्तगी की कार्यवाही करवाई गई है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से शंकर गिरी का बैंक में जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के गलत विवेचन के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाह पी.ड. 1 लालचंद द्वारा बैंक में शंकर गिरी द्वारा चैक प्रस्तुत किए जाने की साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दिया है, परंतु उक्त गवाह बैंक में कार्यरत हो, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। गवाह ने स्वयं को स्वीपर के पद पर होना बताया है एवं उसके पास नियुक्ति पत्र होने से इनकार किया है। बैंक का चपरासी हो, इस तथ्य से इनकार किया है। गवाह ने जिरह में चैक किसने भरा पता नहीं होना, उस दिन बैंक में कितने चैक पेश हुए, कितना लेनदेन हुआ, ध्यान नहीं होना, चैक पर कुलदीप प्रसाद के हस्ताक्षर होना बताया फिर चैक पर हस्ताक्षर होना, क्या लिखा था, इस तथ्य की जानकारी नहीं

होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की कोटि में नहीं आती है ना ही उक्त गवाह के बैंक में कार्यरत होने के संबंध में गवाह पी.ड. 5 विनोद कुमार व गवाह पी.ड. 11 झूझाराम ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन किए हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह चैक प्रस्तुति के समय बैंक में बतौर कर्मचारी कार्यरत हो, इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। बैंक रिकॉर्ड फोटो प्रति दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरोधाभासी गवाहान की साक्ष्य व विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है, जो दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

8. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. Satguru Credit Co–Operativ Society Ltd., Mount Abu Vs. State of Rajasthan Thro' P.P. & Anr
2. 2018 Cr.L.R. (SC) 527 Sheila Sebastian Vs. R. Jawaharaj & Anr. Etc.
3. 2011 (Suppl.) Cr.L.R. (SC) 68 N.K. Illiyas Vs. State of Kerala
4. 2014 Cr.L.R. (SC) 932 Umakant & Anr. Vs. State of Chhattisgarh
5. 2010 Cr.L.R. (SC) 921 Keshav Dutt Vs. State of Haryana

9. दौराने बहस **अपर लोक अभियोजक** ने कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर अन्य अभियुक्त कोल प्रकाश के साथ मिलकर चैक पर किए तथा उक्त चेक को अपने खाते में प्रस्तुत किया।

व्यवस्थापक गोपाल लाल द्वारा प्रदर्श पी. 29 के माध्यम से बैंक को पूर्व में ही सूचना दिनांक 19.05.2000 को इस संबंध में दी गई थी कि अभियुक्त के पास चेक संख्या 11201 से 11225 तक की चेक बुक है जो उसके द्वारा चार्ज में नहीं संभालाई गई। शंकर गिरी का बैंक में जाकर चेक बैंक पर्ची के साथ पेश करने का तथ्य गवाह पी.ड. 1 लालचंद व पी.ड. 5 विनोद कुमार ने प्रमाणित किया है। उक्त चेक को चार्ज में नहीं दिए जाने के संबंध में गवाह गोपाल लाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, जिनका किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट पर कोल प्रकाश के हस्ताक्षर, विवादित हस्ताक्षर व हस्ताक्षर हस्तलेख से मिलान पाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्य का संपूर्ण रूप से विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत ही अभियुक्त द्वारा किए गए कूटरचना के अपराध व छल अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि या तथ्य की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

**10.** उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

**11.** इस अपील के मार्फत अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2018 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त शंकर गिरी को अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया है।

**12.** अब हमें यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 14.06.2018 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि कारित की है या नहीं ?

**13.** इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया जावे तो उक्त निर्णय/दण्डादेश में विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध

युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने पर दोषसिद्ध किया है तथा कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया है। अदम अदायगी में अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया है।

14. उक्त निर्णय की वैधानिकता के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो अभियुक्त पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप है तो इस संबंध में धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूटरचना के लिए दंड का प्रावधान करती है। कूटरचना के अपराध को धारा 463 व 464 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित व स्पष्ट किया गया है।

**धारा 463. कूटरचना–** जो कोई मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की रचना करता है य मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के किसी भाग का निर्माण इस आशय से करता है कि उससे कोई क्षति या नुकसान कारित हो], या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये, या यह कारित किया जाये कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है।

15. उक्त विधिक प्रावधान में कूटरचना से आशय मिथ्या दस्तावेज या उसका कोई भाग रचना बताया है। मिथ्या दस्तावेज को धारा **464 भारतीय दण्ड संहिता** में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार–

**धारा 464. मिथ्या दस्तावेज रचना–** [एक व्यक्ति कोई मिथ्या दस्तावेज निर्माण करता हुआ कहा जाता है जो–

**प्रथम–** बेईमानी या धोखा से–

(क) दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है;

(ख) किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड या उसके किसी भाग का निर्माण या पारेषण करता है;

(ग) कोई [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड जोड़ता है;

(घ) दस्तावेज निष्पादन या [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] की परिशुद्धता के निष्पादन में कोई निशान:

इस आशय से बनाता है कि इस दस्तावेज को विश्वास करने का कारण हो अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] जिस पर हस्ताक्षर निर्मित हो एवं जो सीलयुक्त निष्पादित पारेषित अथवा किसी व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा रचित मुद्रांकित या निष्पादित नहीं हुआ था।

**द्वितीय–** जो किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के रचित या निष्पादित किये जाने के पश्चात् उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना (without lawful authority) बेईमानी से या कपट पूर्वक करता है; अथवा

**तृतीय–** जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज की विषय वस्तु को या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को या ब में परिवर्तन के रूप में चित्त विकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज का बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना कारित करता है।]

16. इस प्रकार से उक्त विधिक प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने या लोक को नुकसान या क्षति कारित करने के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेज रचना अपराध है। मिथ्या दस्तावेज के लिए ऐसे दस्तावेज पर या उसके किसी भाग पर कोई हस्तलेख या हस्ताक्षर, मुद्रांकन, निष्पादन इस प्रकार से किया जाना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि ऐसा दस्तावेज या उसका भाग उसके द्वारा या उसके प्राधिकार के द्वारा उसकी रचना

हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, संप्रेषण या संयोजन होना मान लिया जाए, जिसके द्वारा निष्पादित होना तात्पर्यित है। जबकि वह जानता है कि प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से वह हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित, रचित, संयोजित व संप्रेषित नहीं किया गया है। इस प्रकार से उक्त विधिक प्रावधानों के तहत कूटरचना के अपराध के लिए मुख्य तत्व जो साबित किया जाना है, उनमें–

(1) किसी दस्तावेज को रचना, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करना,

(2) उक्त दस्तावेज का मिथ्या होना, उस पर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित व रचना करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में होना,

(3) इस आशय से रचना की अन्य व्यक्ति द्वारा यह विश्वास कर लिया जाए कि वह प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा रचा गया है, हस्ताक्षरित किया गया है, निष्पादित किया गया है। जबकि निष्पादक जानता है कि वह जिनके द्वारा निष्पादित होना तात्पर्यित है, उनके द्वारा उपरोक्तानुसार रचित, हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं है।

**17.** उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों का अवलोकन किया जाए तो अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 19.06.2001 को खेड़ा नोनंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समित के 97,000/–रुपये आपराधिक षड़यंत्र रचकर छलपूर्वक हड़पने का प्रयास किया। अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर खेड़ा नोनंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के चैक सं. 11215 दिनांक 11.05.2001 रुपये 97,000/–रुपये का फर्जी हस्ताक्षर कर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. शाखा अरांई में प्रस्तुत किया। कूटरचना छल करने के प्रयोजन से की गई। उसका असली रूप में प्रयोग किया गया। इस प्रकार से अभियुक्त के विरूद्ध जहां तक चैक सं. 11215 दिनांक 11.05.2001 की कूटरचना राशि 97,000/–रुपये करने के अपराध का आरोप है तो इस संबंध में परिवादी ने अपनी **लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 2** में यह तथ्य

अंकित किया है कि अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा अरांई से समिति के बचत खाते की चैक बुक संख्या 11201 से 11225 तक की चैक बुक शंकरगिरी गोस्वामी पुत्र रामागिरी, जो समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्य करता था, तब उसने बैंक से प्राप्त की थी। उसके बाद शंकर गिरी को समिति ने सेवाओं से पृथक कर दिया, जो दिनांक 19.01.2001 को पृथक किया, लेकिन मूल रिकॉर्ड, चालू रोकड़ पुस्तिका, बैंक चैक बुक इत्यादि का चार्ज नहीं संभलाया। दिनांक 19.06.2001 को समिति के बचत खाते का चैक सं. 11215 दिनांक 11.05.2001 का स्वयं शंकरगिरी के नाम से उनके फर्जी हस्ताक्षरों से 97,000/–रुपये का चैक बैंक ऑफ बड़ौदा अरांई में भुगतान हेतु प्राप्त हुआ, जिसकी जानकारी शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक अरांई को दी गई। इस प्रकार शंकर गिरी ने 97,000/–रुपये की राशि हड़प्पने का प्रयास किया। परिवादी ने उक्त चेक पर अपने फर्जी हस्ताक्षर अभियुक्त द्वारा किए जाने का आरोप लगाया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त चेक संख्या 11215 दिनांक 11.05.2001 अभियुक्त द्वारा कूटरचित रूप से तैयार किया गया था या नहीं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है तथा अभियोजन को साबित किया जाना है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो जहां तक परिवादी का अभियुक्त के द्वारा उक्त चेक संख्या 11215 के कब्जे में होने का प्रश्न है तो इस संबंध में परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में शंकर गिरी का समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्य करने के दौरान बैंक से चेक बुक संख्या 11201 से 11225 तक की चेक बुक प्राप्त करने का कथन किया है। अभियोजन द्वारा **परिवादी रामधन** को बतौर **गवाह पी.ड. 2** परीक्षित करवाया गया है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह शंकर गिरी को जानता है। शंकर गिरी कोऑपरेटिव बैंक शाखा अरांई में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत था। समिति द्वारा व्यवस्थापक शंकर गिरी ने सहकारी समिति द्वारा बांटे गए लोन में घोटाला किया था। उसके पास समिति की चेक बुक रहती थी। उसने काश्तकारों के साथ किए गए घोटाले बाबत शंकर गिरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। दो समिति काश्तकारों के साथ में गबन किया था।

शंकर गिरी ने 97,000/–रुपये का चेक उसके फर्जी हस्ताक्षर करके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. शाखा अरांई में लगाया, जो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी सूचना उसे बैंक से प्राप्त हुई थी फिर उसने शंकर गिरी के विरुद्ध थाना अरांई में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 दर्ज कराई, जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर होना, चेक के नंबर याद नहीं होना बताया। **जिरह** में गवाह ने शंकर गिरी किस तारीख, तिथि, मिती को सचिव बना, पता नहीं होना, ऑडिट किस तारीख, तिथि, मिती को हुई याद नहीं होना, 8 साल पहले होने का कथन किया है। ऑडिट वालों ने उसे बताया कि शंकर गिरी ने घोटाला कर दिया। शंकर गिरी को ऑडिट होते ही समिति से निकाल दिया, फिर भागचंद को सचिव बनाया। समिति की चेक बुक किसने कब जारी कराई पता नहीं होना, समिति का समस्त रिकॉर्ड सचिव के पास ही रहता है, दूसरा सचिव लगने पर सारा रिकॉर्ड नए नियुक्त सचिव के पास रहता है। यह कहना सही है कि मुलजिम को उसने अपने फर्जी दस्तखत कर चेक भरकर बैंक में प्रस्तुत करते हुए नहीं देखा। उसे तो बैंक वालों ने बताया था इस आधार पर वह बता रहा है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, केवल हस्ताक्षर करना जानता है। प्रदर्श पी 2 तहरीरी रिपोर्ट बैंक वालों ने किसी से लिखवाई थी, उसके केवल हस्ताक्षर कराए थे। उसमें क्या–क्या चीजें लिखी उसे उन्होंने नहीं सुनाया। गवाह ने पुलिस ने उसके बयान किस तारीख को लिए ध्यान नहीं होना बताया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि चेक किसने लगाया बैंक वालों ने सूचना दी थी, उसे पता नहीं। इस चेक पर उसके फर्जी दस्तखत किसने किए पता नहीं। चेक भर कर किसने पेश किया पता नहीं। ग्राम समिति का रिकॉर्ड व्यवस्थापक के पास रहता है। शंकर गिरी व्यवस्थापक किस दिन हटा तारीख याद नहीं। नए व्यवस्थापक को शंकर गिरी ने चार्ज नहीं दिया। यह बात सही है कि अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के पास कोई कागज नहीं रहता है। पैसा निकलवाने और जमा करवाने का काम व्यवस्थापक का है।

18. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा चेक भर कर

बैंक में प्रस्तुत किया गया हो, यह देखें जाने से स्पष्ट इनकार किया है एवं बैंक वालों द्वारा बताए जाने के आधार पर ही साक्ष्य दिए जाने का कथन किया है तथा बैंक वालों के कहने से ही लिखित रिपोर्ट लिखा जाना, स्वयं के केवल हस्ताक्षर होना, उसमें क्या–क्या लिखा था, सुनाया नहीं जाने का भी कथन किया है। चेक किसने बैंक में लगाया, चेक पर किसने फर्जी हस्ताक्षर किए, यह भी जानकारी नहीं होना बताया है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में चेक बुक किसने कब जारी करवाई उसकी भी जानकारी नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त के द्वारा विवादित चेक की चेक बुक जारी करवाई गई थी। गवाह ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में अभियुक्त शंकर गिरी द्वारा उसके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक में लगाने का कथन किया है, परंतु जिरह में विरोधाभासी कथन करते हुए चैक पर किसने फर्जी हस्ताक्षर किए, किसने पेश किया, जानकारी नहीं होना व केवल बैंक द्वारा बताए अनुसार कथन किए जाने की साक्ष्य दी है। गवाह ने चेक भरकर बैंक में प्रस्तुत करते हुए देखें जाने से इनकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में चेक पर हस्ताक्षर या हस्तलेख अभियुक्त के द्वारा लिखी गई हो या की गई हो, इस संबंध में उक्त गवाह ने कोई अखंडनीय साक्ष्य नहीं दी है बल्कि जानकारी नहीं होने का कथन जिरह में किया है।

19. अन्य गवाह **पी.ड. 3 रामचन्द्र** को अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है, जिसे विवादित चेक पर अभियुक्त द्वारा उसके फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है, परंतु उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में चेक के संबंध में पूछताछ किए जाने से इनकार किया है। जब तक वह उपाध्यक्ष रहा, व्यवस्थापक शंकर गिरी के समय किसी भी चेक पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। व्यवस्थापक शंकर गिरी कब से कब तक रहा पता, नहीं होना बताया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति की ऑडिट होने पर व्यवस्थापक द्वारा गबन किए जाने की ताईद होने पर उसके स्थान पर गोपाल जांगिड़ को व्यवस्थापक बनाया गया था। जिरह में गवाह ने ऑडिट के समय शंकर गिरी को व्यवस्थापक के पद से

हटाना और तब से गोपाल का ही व्यवस्थापक होना बताया है। गवाह ने शंकर गिरी को हटाने के बाद समिति के सारे कागज, चेक बुक आदि गोपाल व्यवस्थापक के पास ही चले आ रहे होने का कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि मुकदमे में जब्त चैक उसे पुलिस ने नहीं बताया न ही जब्तशुदा चैक बाबत उसके हस्ताक्षर है। उनके बारे में भी नहीं पूछा। उसने शंकरगिरी द्वारा गबन बाबत सुना था, देखा नहीं था। उसे समिति ने कब और क्यों हटाया पता नहीं होने का कथन किया हैं व पुलिस बयान लिए जाने से इनकार किया है।

20. इस प्रकार उक्त गवाह, जिसके चेक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के द्वारा कूटरचित रूप से करने का आरोप है, ने विवादित चैक को दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे दिखाए जाने, उसके संबंध में पूछताछ किए जाने से स्पष्ट इनकार किया है, अपने पुलिस बयान होने से भी इनकार किया है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा ही चेक पर फर्जी हस्ताक्षर उक्त गवाह रामधन के किए गए थे। गवाह पी.ड. 2 रामधन व पी.ड. 3 रामचंद्र दोनों ने ही अभियुक्त का व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत होना बताया है परंतु अभियुक्त किस अवधि से किस अवधि तक व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत रहा, इस संबंध में कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किए हैं ना ही किसी दस्तावेजी साक्ष्य को साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि अमुक अवधि में अभियुक्त समिति में व्यवस्थापक के बतौर कार्यरत रहा हो। इसके अतिरिक्त परिवादी पी.ड. 2 रामधन ने अपनी साक्ष्य में चेक बुक व्यवस्थापक के पास रहना बताया है परंतु अभियुक्त द्वारा अपने व्यवस्थापक पद के कार्यकाल में उसके द्वारा चेक बुक जारी कराई गई हो इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है बल्कि समिति की चेक बुक किसने जारी कराई जानकारी नहीं होना बताया है व समिति का समस्त रिकॉर्ड सचिव के पास होने का कथन किया है। चैक किसने बैंक में पेश किया उसके हस्ताक्षर चैक पर किसने किए अपनी भी जानकारी नहीं होना बताया है। गवाह पी.ड. 3 रामचंद्र ने शंकर गिरी को हटाने के बाद समिति के सारे

कागज चेक बुक आदि गोपाल लाल व्यवस्थापक के पास ही चले आ रहे होने का कथन किया है। उक्त गवाह पी.ड. 3 ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त शंकरगिरी के द्वारा व्यवस्थापक के पद से हटाने के बाद उसके द्वारा व्यवस्थापक का चार्ज पदउत्तराधिकारी व्यवस्थापक को नहीं दिया गया हो। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 2 रामधन व पी.ड. 3 रामचन्द्र ने अभियुक्त के व्यवस्थापक के पद पर नियुक्त होने तथा व्यवस्थापक के पद से हटाने बाबत कोई आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त अभियुक्त उक्त समिति में कब से कब तक कार्यरत रहा, यह तथ्य भी संदेहास्पद है। अभियुक्त को हटाने के पश्चात् गोपाल लाल समिति का व्यवस्थापक रहा हो, इस बाबत भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा चेक सं. 11201 से 11225 तक की चैक बुक बैंक से प्राप्त करना व सेवाओं से पृथक करने के बाद भी उसका चार्ज नहीं दिए जाने का कथन किया है परंतु उक्त चेक बुक अभियुक्त ने व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति के दौरान अपने कार्यकाल में बैंक से जारी कराई हो, इस संबंध में कोई बैंक का अभिलेख या समिति का अभिलेख अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त चेक बुक का कब्जा अभियुक्त के पास था, इस संबंध में भी परिवादी पी.ड. 2 रामधन व अन्य गवाह पी.ड. 3 रामचन्द्र ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किए हैं। अभियोजन द्वारा दस्तावेज प्रदर्श पी. 33 व 34 चार्ज रिपोर्ट के संबंध में व समिति के रिकॉर्ड के संबंध में प्रस्तुत किए हैं, जिसमें एक चार्ज रिपोर्ट सहायक व्यवस्थापक खेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति दिनांक 18.03.1995 प्रदर्श पी. 33 पेश की गई है, जिसमें पुराना रिकॉर्ड (बंद) व्यवस्थापक शंकर गिरी व व्यवस्थापक भागचंद के मध्य चार्ज के आदान–प्रदान के संबंध में होना अंकित है, जिसके क्रमांक सं. 22 पर चेक बुक तीन अंकित है, परंतु उक्त रिकॉर्ड पुराना बंद रिकॉर्ड होना बताया गया है, जिसका चार्ज है। इसके अतिरिक्त उक्त चेक बुक की कोई संख्या, क्रमांक इत्यादि का अंकन नहीं है। उक्त रिकॉर्ड में अंकित चैक बुक ही विवादित चैक बुक हो ऐसा कोई कथन परिवादी व अन्य गवाहान ने नहीं किया है। अन्य दस्तावेज प्रदर्श पी. 33 का ही भाग है, वह भी दिनांक

18.03.1995 की चार्ज लिस्ट (चालू) का रिकॉर्ड पेश किया गया है, जिसमें चेक बुक का कोई अंकन नहीं है ना ही ऐसा अंकन है कि शंकर गिरी द्वारा भागचंद से चालू रिकॉर्ड के अंतर्गत कोई चेक बुक प्राप्त की गई हो। तत्पश्चात दिनांक 09.08.1999 को समिति के चार्ज के आदान–प्रदान के रूप में दिनांक 09.08.1999 को शंकर गिरी द्वारा चार्ज दिया जाना व भागचंद द्वारा चार्ज लिए जाने का अंकन है। उक्त चार्ज रिपोर्ट में भी चेक बुक के आदान–प्रदान के संबंध में कोई अंकन नहीं है ना ही चार्ज लेने वाले व्यवस्थापक भागचंद द्वारा ऐसा कोई नोट अंकित किया गया है कि व्यवस्थापक शंकर गिरी द्वारा उसे चेक बुक का चार्ज नहीं दिया गया या पेंडिंग हो। अतः उक्त चार्ज रिपोर्ट से अभियुक्त शंकर गिरी द्वारा चार्ज में भागचंद से दिनांक 18.03.1995 को चालू रिकॉर्ड में कोई चेक बुक प्राप्त की हो यह प्रकट नहीं होता ना ही दिनांक 09.08.1999 को उसके कब्जे में कोई चेक बुक रही हो जिसका चार्ज उसके द्वारा भागचंद को नहीं दिया गया यह तथ्य प्रकट होता है। परिवादी रामधन पी.ड. 2 ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा चार्ज नहीं दिए जाने का कथन किया है परंतु चार्ज रिपोर्ट अभियोजन द्वारा प्रदर्शित करवाई गई है। उक्त चार्ज रिपोर्ट में शंकर गिरी का भागचंद को चार्ज का आदान–प्रदान किए जाने का दिनांक 09.08.1999 का अंकन किया गया है। अतः शंकर गिरी द्वारा भागचंद को रिकॉर्ड का चार्ज नहीं दिया हो या चार्ज बकाया रहा हो यह तथ्य दस्तावेज प्रदर्श पी. 33 के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। उक्त चार्ज रिकॉर्ड के अलावा कोई चार्ज शेष रहा हो, ऐसा कोई अंकन उक्त रिपोर्ट पर नहीं है।

21. इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेजों के संबंध में व्यवस्थापक भागचंद के बयानों का अवलोकन किया जाए तो अभियोजन द्वारा **भागचंद** को बतौर गवाह **पी.ड. 9** परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि सन् 1995 के आसपास की बात है। वह छोटा लांबा में व्यवस्थापक के पद पर था। तब अधिकारियों ने उसे अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हुए उसे खेड़ा नोनंदपुरा में अतिरिक्त व्यवस्थापक के पद पर लगाया था। वह अपनी उपस्थिति अध्यक्ष महोदय को देकर

शंकरगिरी से चार्ज लेने बाबत संपर्क किया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी समिति का ऑडिट होने वाला है तथा ऑडिट कराकर आपको चार्ज दे देंगे। रामलाल ऑडिटर साहब के समक्ष शंकर गिरी से चार्ज मंगवाकर ऑडिट कार्य शुरू किया व अनियमितता पाने पर चार्ज को ऑडिटर रामलाल ने अपने कब्जे में ले लिया। रामलाल की उपस्थिति में ऑडिट संबंध में सहयोग का कार्य किया। समिति का रिकॉर्ड जो जब्त किया था, सज्जन सिंह के पास रखा गया। सज्जन सिंह ऋण पर्यवेक्षक थे, जो कोऑपरेटिव शाखा अरांई में थे, उसे शंकर गिरी के कार्यकाल का चार्ज नहीं दिया गया। उससे पहले का चार्ज उसे दिया गया, जिसकी लिस्ट पत्रावली में जमा है।

22. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में शंकर गिरी के कार्यकाल का चार्ज दिए जाने से इनकार किया है तथा उससे पहले का चार्ज दिया जाना बताया है परंतु दस्तावेज प्रदर्श पी 33 में शंकर गिरी द्वारा भागचंद को चार्ज दिए जाने का उल्लेख है, जो दिनांक 09.08.1999 को आदान–प्रदान किया गया है। शंकर गिरी समिति में कब से कब तक पदस्थापित रहा, इस बाबत कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त चार्ज शंकर गिरी के कार्यकाल का ना हो इस संबंध में कोई नियुक्ति व हटाने का आदेश अभियुक्त का नहीं होने से प्रकट नहीं होता है। गवाह भागचंद पी.ड. 9 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि उसे किस तारीख, तिथि, मिति, वार को अतिरिक्त व्यवस्थापक का कार्य संभलाया गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत होने का नियुक्ति पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है।

23. इस प्रकार से उक्त गवाह समिति में बतौर व्यवस्थापक या अतिरिक्त मुख्य व्यवस्थापक के पद पर कब से कब तक कार्यरत रहा, कार्यरत रहा भी या नहीं इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, केवल दस्तावेज प्रदर्श पी 33 चार्ज रिपोर्ट के आदान–प्रदान के संबंध में है, जो दिनांक 18.03.1995 व दिनांक 09.08.1999 की है। अतः ऐसी स्थिति में भागचंद का व्यवस्थापक के पद पर

नियुक्ति अवधि का भी कोई प्रमाण साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी जो दस्तावेज प्रदर्श पी 33 पेश किया गया, उससे शंकरगिरी व भागचंद के मध्य बतौर व्यवस्थापक चार्ज का आदान प्रदान का उल्लेख है। अतः चार्ज का आदान प्रदान नहीं हुआ हो, यह प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त गवाह भागचंद ने पत्रावली पर उपलब्ध चार्ज रिकॉर्ड पुराना होना बताया है व शंकरगिरी के कार्यकाल का चार्ज नहीं होना बताया तथा उसके कार्यकाल का चार्ज दिलाए जाने से अध्यक्ष द्वारा ऑडिट के बाद दिलाने का कथन किया है। शंकरगिरी ने उसे कोई चार्ज देने से मना किया हो, ऐसा कथन नहीं किया व ऑडिट के दौरान भी चार्ज रामलाल ऑडिटर द्वारा शंकरगिरी से चार्ज मंगवाकर ऑडिट शुरू करना बताया है, जिससे भी शंकरगिरी ने चार्ज देने से इनकार किया हो, पुष्टि नहीं होती है, बल्कि ऑडिटर द्वारा समिति का रिकॉर्ड जब्त कर सज्जन सिंह, ऋण पर्यवेक्षक को देना बताया है। ऑडिट के दौरान चैक बुक का चार्ज ऑडिटर को नहीं दिया हो या शेष हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है ना ही ऑडिटर रामलाल को इस संदर्भ में बतौर गवाह पेश कर अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा विवादित चेक अभियुक्त शंकर गिरी के कब्जे में होना तथा उसका चार्ज में नहीं दिए जाने के बाबत दस्तावेज प्रदर्श पी 29 को महत्वपूर्ण साक्ष्य होना बताया है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त दस्तावेज के आधार पर यह माना है कि उक्त चेक बुक सं. 11201 से 11225 अभियुक्त के कब्जे में उसके कार्यकाल के दौरान रही और उसके द्वारा उसका चार्ज उसके उत्तराधिकारी को नहीं दिया गया। इस संबंध में **गवाह पी.ड. 15 गोपाल लाल** की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो गवाह ने दिनांक 19.05.2000 को स्वयं का सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर तैनात होना, उस दिन वह शाखा प्रबंधक महोदय अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा अरांई को प्रदर्श पी. 29 पत्र समिति के बचत खाता की चेक बुक सं. 11201 से 11225 की चेकों का भुगतान नहीं करने के संबंध में लिखा जाना, जो चेक बुक शंकर गिरी के द्वारा चार्ज में नहीं दी गई थी। शंकर गिरी ने उक्त चेक बुक अमर सिंह राठौड़ जो उससे पूर्व

व्यवस्थापक था, को चार्ज में नहीं दी थी व अमर सिंह राठौड़ ने उक्त चैक बुक उसको चार्ज में नहीं दी थी। प्रदर्श पी. 29 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसने अमर सिंह राठौड़ से चार्ज लिया था। उसे चार्ज में चालू रिकॉर्ड मिला था। क्या–क्या रिकॉर्ड मिला, वह आज नहीं बता सकता, वह चार्ज लिस्ट में अंकित है। वह चार्ज लिस्ट पत्रावली में नहीं है। उसे चार्ज में कितनी चैक बुक मिली व कितने रजिस्टर मिले यह लिस्ट के अंदर अंकित है। लिस्ट में क्या–क्या अंकन है उसे पता नहीं है।

24. इस प्रकार से उक्त गवाह जिसने बैंक को प्रदर्श पी 29 देना बताया है, ने अपनी साक्ष्य अन्य गवाहान के भारी विरोधाभासी कथन करते हुए अमरसिंह राठौड़ जो उससे पूर्व व्यवस्थापक था से चार्ज लेना बताया है तथा अमर सिंह राठौड़ द्वारा उसे चेक बुक चार्ज में नहीं दिए जाने का कथन किया है। अमर सिंह राठौड़ ने शंकर गिरी से चार्ज लिया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। अमर सिंह समिति में व्यवस्थापक के पद पर कब से कब तक रहा, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जो चार्ज रिपोर्ट पेश की गई है वह शंकर गिरी द्वारा भागचंद व्यवस्थापक को चार्ज देने के संबंध में पेश की गई है जो प्रदर्श पी. 33 है। भागचंद ने भी अपनी साक्ष्य में पुराना रिकॉर्ड का चार्ज शंकर गिरी द्वारा दिया जाना स्वीकार किया है परंतु भागचंद व शंकर गिरी कब से कब तक पदस्थापित रहे इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः जो चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श पी. 33 भागचंद के संबंध में प्रस्तुत की गई है वह शंकर गिरी के कार्यकाल की नहीं हो, पुरानी हो यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अमर सिंह व्यवस्थापक के पद पर रहा हों ऐसा किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथन नहीं किया है। यहां तक की गवाह पी.ड. 2 रामधन व पी.ड. 3 रामचन्द्र जो कि समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे होना बताए गए हैं ने भी अपनी साक्ष्य में अमर सिंह का व्यवस्थापक के पद पर नहीं होना बताया है ना ही अभियोजन द्वारा अमर सिंह को बतौर गवाह परीक्षित करवाया गया है। इस प्रकार

उक्त गवाह गोपाल लाल पी.ड. 15 की साक्ष्य व अन्य गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। गोपाल लाल ने व्यवस्थापक का चार्ज अमर सिंह राठौड़ से लेना बताया है। अमर सिंह से जो चार्ज लिया गया था, उसकी कोई चार्ज लिस्ट पत्रावली पर नहीं होना भी स्वीकार किया है। चार्ज में उसे कितने रजिस्टर, चैक बुक मिले यह भी लिस्ट में अंकित नहीं होने से जानकारी नहीं होना बताया है। अमर सिंह राठौड़ को शंकर गिरी के द्वारा चार्ज दिया गया हो या शंकर गिरी के बाद अमर सिंह ने बतौर व्यवस्थापक कार्य किया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। गवाह भागचंद ने स्वयं का अतिरिक्त व्यवस्थापक होना बताते हुए शंकरगिरी से चार्ज के लिए सम्पर्क करना, अध्यक्ष द्वारा ऑडिट के द्वारा चार्ज दिलाया जाना व ऑडिटर रामलाल द्वारा शंकरगिरी द्वारा प्रस्तुत समिति के रिकॉर्ड को जब्त कर सज्जन सिंह को देना बताया है। अमरसिंह व्यवस्थापक रहा हो, उसे शंकरगिरी ने चार्ज दिया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। गवाह पी.ड. 3 रामचन्द्र, उपाध्यक्ष ने शंकरगिरी के पश्चात् गोपाल लाल द्वारा चार्ज लेना बताया है, उक्त समस्त साक्ष्य भारी विरोधाभासी है। प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्य का मामला है। मौखिक साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य की अमर सिंह राठौड़ से व्यवस्थापक द्वारा चार्ज लिया गया व अमर सिंह से शंकर गिरी ने चार्ज लिया दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में संदेहास्पद है तथा गवाह कि उक्त साक्ष्य से प्रदर्श पी. 29 पत्र जो बैंक को इस बाबत सूचना दिए जाने के संबंध में बताया गया है कि चेक बुक सं. 11201 से 11225 शंकर गिरी द्वारा चार्ज में नहीं दी गई, उसका भुगतान नहीं किया जाए जबकि गवाह गोपाल लाल ने स्वयं द्वारा अमर सिंह से चार्ज लेना बताया है। शंकर गिरी से उसने कोई चार्ज लिया हो, ऐसा कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अमर सिंह जिससे गवाह ने चार्ज लेना बताया है वह अति महत्वपूर्ण गवाह था, परंतु उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। जो चार्ज रिपोर्ट अमरसिंह से लेना बताया है वह पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में शंकरगिरी ने चार्ज अमरसिंह को दिया हो व अमरसिंह ने गोपाल लाल को दिया हो यह तथ्य भी संदेहास्पद है।

**25.** इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 9 भागचंद ने अपनी साक्ष्य में अतिरिक्त व्यवस्थापक पद पर लगाया जाना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह कभी व्यवस्थापक नहीं था। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 2 रामधन ने शंकर गिरी के हटाने के बाद समिति के सारे कागज, चेक बुक इत्यादि गोपाल के पास ही चले आ रहे होने का कथन किया है। शंकर गिरी ने नवीन व्यवस्थापक को चार्ज नहीं दिया हो, ऐसा कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार से गवाहान की साक्ष्य के अनुसार शंकर गिरी के पद से हटाने के उपरांत उसका चार्ज भागचंद द्वारा लिया जाना जो बतौर अतिरिक्त व्यवस्थापक के या व्यवस्थापक के आधार पर लेना बताया है। यद्यपि भागचंद ने पुराना रिकॉर्ड चार्ज में लेना बताया है व शंकर गिरी के कार्यकाल का चार्ज नहीं देने का कथन किया है परंतु शंकर गिरी कब से कब तक रहा, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श पी 33 से चार्ज का आदान–प्रदान होना प्रकट है। उक्त चार्ज रिपोर्ट में चेक या अन्य दस्तावेज बकाया हो ऐसा कोई अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त गवाह भागचंद ने यह भी कथन किया है कि रामलाल ऑडिटर द्वारा अनियमितता पाए जाने पर चार्ज अपने कब्जे में लिया गया था और समिति का रिकॉर्ड जब्त करके ऋण पर्यवेक्षक सज्जन सिंह के पास रखा गया था। **सज्जन सिंह** को बतौर गवाह **पी.ड. 14** के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में उसे चार्ज में रिकॉर्ड गोपाल व्यवस्थापक से आना फिर कहा कि उसके पास रिकॉर्ड चार्ज में नहीं आया का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि यह सही है कि वह ऋण पर्यवेक्षक है। सहकारी समिति का रिकॉर्ड रखने का दायित्व उनके पास नहीं है। यह दायित्व समित व्यवस्थापक के पास होता है। उसने दस्तावेज प्रमाणित करके गोपाल को दिए थे। किस दिनांक को दिए उसे याद नहीं है वो 2004 में दिए थे। प्रमाणित दस्तावेज प्रदर्श 31, 32, 33 पर उसने प्रमाणीकरण की दिनांक अंकित नहीं कर रखी है, इसका वह कोई कारण नहीं बता सकता।

26. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में गवाह पी.ड. 9 भागचंद की साक्ष्य के विरोधाभासी कथन करते हुए स्वयं के पास रिकॉर्ड चार्ज में नहीं आना बताया है। साथ ही स्वयं की साक्ष्य में ही विरोधाभासी कथन करते हुए चार्ज रिकॉर्ड में गोपाल व्यवस्थापक से भी आने का कथन किया है। इस प्रकार से उक्त गवाह की साक्ष्य विरोधाभासी साक्ष्य है। गवाह ने बैंक की सेविंग पासबुक प्रदर्श पी. 31, चार्ज लिस्ट प्रदर्श पी. 32 व 33 की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति को दौराने अनुसंधान दिया जाना बताया है।

27. यदि दस्तावेज उसके रिकॉर्ड में नहीं था तो उसके द्वारा किस प्रकार उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी की गई, इस संबंध में कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें **उपाध्यक्ष रामचन्द्र पी.ड. 3** ने शंकर गिरी के पद से हटने के पश्चात् गोपाल लाल के पास समिति का समस्त रिकॉर्ड जिसमें चैक बुक, पासबुक इत्यादि होना बताया है, जबकि गोपाल लाल पी.ड. 15 ने अमर सिंह राठौड़ नामक व्यवस्थापक से चार्ज लेने का कथन किया है तथा उसके द्वारा जो चार्ज लेने की लिस्ट तैयार की गई थी, वह पत्रावली में पेश नहीं किया जाना स्वीकार किया है। चार्ज लिस्ट में कितने चैक व रजिस्टर मिले, वह भी याद नहीं होना बताया है। अमर सिंह राठौड़ कब से कब तक व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत रहा, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है ना ही **पी.ड. 2 परिवादी रामधन, जो कि समिति का अध्यक्ष** है, **पी.ड. 3 रामचन्द्र, जो कि समिति का उपाध्यक्ष** है, ने अपनी साक्ष्य में अमरसिंह का व्यवस्थापक के पद पर होने बाबत कोई कथन किया है। अमर सिंह राठौड़ ने शंकर गिरी से चार्ज प्राप्त किया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि गवाह पी.ड. 15 ने शंकरगिरी द्वारा अमरसिंह राठौड़ पूर्व व्यवस्थापक को चैक बुक चार्ज में नहीं दिया जाना साक्ष्य में बताया है, परंतु अमर सिंह राठौड़ का व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत होने की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त ने अमरसिंह पूर्व व्यवस्थापक को चार्ज दिया हो और उसमें चैक बुक नहीं दी हो, यह तथ्य

दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रकट नहीं होता है। गवाहान की साक्ष्य में भी इस संबंध में भारी विरोधाभास है। गवाह पी.ड. 9 भागचंद ने पुराने रिकॉर्ड का चार्ज लेना बताया है। स्वयं का अतिरिक्त व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत होना बताया है, परंतु वह कब से कब तक कार्यरत रहा, इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श पी. 33 से भागचंद व्यवस्थापक द्वारा शंकरगिरी से चार्ज लिए जाने का तथ्य प्रकट होता है। उक्त चार्ज के अलावा अन्य कोई दस्तावेज या चैक का चार्ज शेष रहा है, ऐसा कोई अंकन उक्त दस्तावेज पर नहीं है। गवाह पी.ड. 14 सज्जन सिंह के द्वारा चार्ज लिया जाना भी गवाह भागचंद ने अपनी साक्ष्य में बताया है व ऑडिटर रामलाल द्वारा जब्त कर सज्जन सिंह के पास रखना बताया है, परंतु उक्त गवाहने चार्ज से इनकार किया है। ऑडिटर रामलाल को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। सज्जन सिंह ने चार्ज लेने, नहीं लेने बाबत विरोधाभासी साक्ष्य दी है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है कि अभियुक्त खेड़ा नोनंदपुरा ग्राम सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर किस समयावधि में रहा तथा उसके द्वारा विवादित चैक सं. 11201 से 11225 वाली चैक बुक, बैंक से जारी करवाई गई थी तथा उसके कब्जे में थी। उसके द्वारा अपने उत्तराधिकारी व्यवस्थापक को नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी. 29 पर बैंक में प्रस्तुति का कोई पृष्ठांकन नहीं है कि वह कब पेश किया गया था। अतः दस्तावेज प्रदर्श पी. 29 में उल्लेखित तथ्यों को अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एक मात्र प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 29 के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाना कि चैक बुक अभियुक्त शंकरगिरी द्वारा गोपाल लाल को चार्ज में नहीं दी गई तथा अभियुक्त के कब्जे में होने की उपधारणा की है, यह विधिसम्मत नहीं है।

28. इसके अतिरिक्त यदि क्षण भर के लिए यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त शंकरगिरी उक्त सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत होने के दौरान विवादित चैक की चैक बुक अभियुक्त द्वारा बैंक से जारी करवाई गई थी, परंतु उक्त

चैक बुक व्यवस्थापक के पद से हटने के बाद भी उसके कब्जे में रही थी तथा उसके द्वारा चैक सं. 11215 को बैंक में प्रस्तुत किया गया था व उस पर परिवादी व तत्कालीन उपाध्यक्ष के अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे व स्वयं के पक्ष में कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया था, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त के पास उक्त चैक बुक को व्यवस्थापक के पद से हटने के बाद भी रही, परंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उक्त तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। जहां तक उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने खाते में 97,000/–रुपये प्राप्त करने के बेईमानीपूर्वक आशय से पेश किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन द्वारा दस्तावेज प्रदर्श पी. 6 प्रस्तुत किया गया है, जो बैंक की पर्ची है, जिसे चैक के साथ पेश किया जाना गवाह पी.ड. 5 विनोद कुमार ने अपनी साक्ष्य में बताया है, परंतु उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी. 6 पर जमाकर्ता के बतौर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना प्रथमदृष्टया नहीं है ना ही कोई नाम अंकित है। जो हस्ताक्षर मौजूद हैं, उनकी कोई एफएसएल नहीं करवाई गई कि वह किसके हैं या किसके हस्तलेख में हैं। उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी. 6 व चैक प्रदर्श पी. 5 अभियुक्त द्वारा ही पेश किया गया हो इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में गवाह पी.ड. 1 लालचंद व पी.ड. 5 विनोद कुमार की साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित माना है। उक्त गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 1 लालचंद ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का दिनांक 19.06.2001 को बैंक ऑफ बड़ौदा में स्वीपर के पद पर पार्ट टाइम कार्यरत होना बताया है। शंकरगिरी गोस्वामी जो खेड़ा नोनंदपुरा ग्राम सहकारी समिति का व्यवस्थापक था बैंक में आना तथा एक चैक व उसके साथ पर्ची शंकरगिरी द्वारा दस्तखत करके देना बताया है, जिसके द्वारा उक्त चैक को जैन साहब द्वारा सील ठप्पा लगाकर, हस्ताक्षर कर उसे सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा अरांई भेजने के लिए दिया जाना बताया है। शंकरगिरी के साथ अन्य व्यक्ति का नाम पता नहीं होना बताया है। गवाह ने अपनी **जिरह** में चैक भरने की कार्यवाही शंकरगिरी ने की या अन्य ने की पता

नहीं होना, बैंक ऑफ बड़ौदा में पार्ट टाइम सफाई का काम करना, उस रोज चपरासी नहीं था, इसलिए स्वयं का चपरासी का काम करना बताया है। गवाह ने स्वयं का वैध नियुक्तिपत्र नहीं होना, चैक पर कुलदीप प्रसाद के हस्ताक्षर होना उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं देखना फिर कहा चैक पर किसके हस्ताक्षर थे, उसने नहीं देखें चैक पर कितने रुपये लिखे थे व क्या नंबर थे उसने नहीं देखें। उसे चैक रजिस्टर में चढ़ाकर देने के लिए दिया था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि चैक में क्या लिखा था, उस चैक का क्या हुआ, किसके हस्ताक्षर थे, कैसे पेश हुआ, उसे जानकारी नहीं, बयान प्रदर्श पी. 1 में दिए थे, पुलिस ने क्यों नहीं लिखे पता नहीं होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने बैंक में पाई टाइम सफाई का काम करना बताया है। उक्त गवाह ने बैंक में कार्य किया हो, इस तथ्य की पुष्टि में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। गवाह ने जिरह में चैक किसने भरा, उसमें क्या लिखा था, किसने हस्ताक्षर किए, कैसे पेश हुआ, जानकारी नहीं होना बताते हुए मुख्य परीक्षा के विरोधाभासी कथन किए हैं।

**29.** अन्य गवाह पी.ड. 5 विनोद कुमार ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 19.06.2001 को स्वयं का बैंक ऑफ बड़ौदा में सहायक प्रबंधक के पद पर तैनात होना, चैक सं. 11215 राशि 97,000/–रुपये शंकरगिरी के पक्ष में अजमेर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक अरांई का शंकरगिरी के खाता नंबर 5118 में जमा करवाना जिसकी क्लियरिंग हेतु बैंक में नियमानुसार सील ठप्पा लगाकर व हस्ताक्षर कर अजमेर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की अरांई शाखा को प्रेषित किया जाना, चैक प्रदर्श पी. 5 होना, जिसकी पुश्त पर ए से बी अपने हस्ताक्षर रिटर्न मीमो लगाकर वापस करना दिनांक 20.06.2001 को एसएचओ थाना अरांई द्वारा कब्जे में लेना चैक के साथ उनकी रिसिविंग कॉपी होना, जो प्रदर्श पी. 6 होना चैक व पर्ची जो उसने एसएचओ को सुपुर्द की वो उसके द्वारा जब्त की गई जो प्रदर्श पी. 4 है, जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना, चैक पर व्यवस्थापक के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण वह वापस लौट गया। चैक बैंक में शंकरगिरी व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति

लेकर आए थे। प्रदर्श पी. 6 स्लिप किसने भरी वह नहीं बता सकता क्योंकि भरकर ही उसके पास आए थे। **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि जो चैक जमा कराने आया उसे वह व्यक्तिगत नहीं जानता, उसके साथ का कर्मचारी जानता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि चैक रिटर्न होने पर खाताधारक के नाम 56 रुपये का रिटर्न चार्ज लगाया जाता है। शंकरगिरी के खाते में चैक रिटर्न चार्जेज 56 रुपये डेबिट किए हैं या नहीं, ध्यान नहीं होना, चैक में भरी लिखावट एवं इन्द्राजात किसके हाथ से किए गए हैं, बताने में असमर्थता जाहिर की है।

**30.** इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान ने अपनी साक्ष्य में शंकरगिरी द्वारा उक्त चैक के बैंक में पेश करना मुख्य परीक्षा में बताया है परंतु **गवाह पी.ड. 5 विनोद कुमार** ने जिरह में शंकरगिरी को व्यक्तिगत रूप से जानने से इनकार किया है बल्कि अन्य कर्मचारी द्वारा बताने का कथन किया है। अन्य कर्मचारी कौन था, जिसने शंकरगिरी को पहचाना था इस संबंध में गवाह ने उसका कोई नाम पता नहीं बताया ना ही अभियोजन द्वारा उसे बतौर गवाह परीक्षित करवाया गया है ना ही गवाह विनोद कुमार से अभियुक्त शंकरगिरी की शिनाख्तगी कार्यवाही करवायी गई है। कि अभियुक्त शंकरगिरी ही बैंक में उपस्थित आया था। अतः **गवाह पी.ड. 5** जबकि अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से जानता, पहचानता नहीं था व अन्य व्यक्ति द्वारा बताए जाने के आधार पर उसे जानकारी हुई थी तो अनुसंधान अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह शंकरगिरी की उक्त गवाह से शिनाख्तगी की कार्यवाही करवाता परंतु उक्त शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं होने से अभियुक्त के द्वारा ही बैंक में उपस्थित होकर चैक पेश किया गया हो यह तथ्य संदेहास्पद है। जिस कर्मचारी द्वारा शंकरगिरी को पहचानना बताया है, उसे बतौर गवाह परीक्षित नहीं करवाया है। बैंक पर्ची पर शंकरगिरी के कोई हस्ताक्षर होना अंकित हो, इस संबंध में एफएसएल जांच उक्त बैंक पर्ची की नहीं करवाई है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 1 लालचंद ने स्वयं का स्वीपर के पद पर कार्यरत होना व शंकरगिरी द्वारा बैंक में चैक व पर्ची पेश करना बताया है परंतु उक्त गवाह बैंक का कर्मचारी होने बाबत तथ्य साक्ष्य से

प्रमाणित नहीं किया गया है। उक्त गवाह ने स्वयं पार्ट टाइम स्वीपर का कार्य करना बताया है। गवाह पी.ड. 5 जो कि सहायक प्रबंधक था, उसके द्वारा गवाह पी.ड. 1 लालचंद के बैंक में चैक प्रस्तुति के दिवस दिनांक 19.06.2001 को मौजूद होने तथा उसे इन्द्राज हेतु चैक दिए जाने तथा बाद में अन्य शाखा में क्लियरिंग के लिए चैक देकर भेजना इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है, जिससे उक्त गवाह पी.ड. 1 लालचंद की साक्ष्य की पुष्टि गवाह पी.ड. 5 से नहीं हुई है। उक्त गवाह चैक प्रस्तुति की दिनांक को बैंक में पार्ट टाइम स्वीपर कार्य हेतु उपस्थित रहा हो, इस बाबत कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त गवाह ने जिरह में चैक शंकरगिरी ने भरा या अन्य किसी ने जानकारी नहीं होना, चैक में क्या लिखा था, चैक का क्या हुआ, चैक कैसे पेश हुआ उसे जानकारी में नहीं होना बताते हुए चैक पर कुलदीप प्रसाद के हस्ताक्षर होना फिर हस्ताक्षर नहीं देखने फिर चैक पर किसके हस्ताक्षर थे उसके द्वारा नहीं देखें जाने का कथन करते हुए अविश्वसनीय साक्ष्य दी है। जिरह में गवाह की मुख्य परीक्षण में किए गए कथन अखंडित नहीं रहे हैं। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त का दिनांक 19.06.2001 को बैंक में उपस्थित होकर चैक व बैंक पर्ची को पेश किए जाने का तथ्य संदेहास्पद है। बैंक पर्ची प्रदर्श 6 पर हस्तलेख व हस्ताक्षरों की कोई एफएसएल जांच नहीं करवाई है। बैंक पर्ची पर मौजूद हस्ताक्षर किसके हैं, इस संबंध में गवाहान ने कोई कथन नहीं किए हैं। जहां तक उक्त चैक पर हस्ताक्षर व अन्य इबारत अभियुक्त द्वारा फर्जी कूटरचित लिखे जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त के व चैक पर अंकित अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सहअभियुक्त कोलप्रकाश के स्पेसिमैन हस्ताक्षर अभियुक्त के हस्तलेख में जो चिकित्सा अधिकारी के समक्ष लिए गए थे की तुलना तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरों के स्पेसिमैन व बैंक में प्रस्तुत नमूना सैंपल हस्ताक्षर प्रदर्श पी. 25 व 26 जो स्वीकृत हस्ताक्षरों के रूप में थे उनको जांच हेतु एफएसएल भेजे जाने तथा एफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है, उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 में अभियुक्त कोलप्रकाश के

स्वीकृत हस्ताक्षर ए 1 से ए 4 जो कि दस्तावेज प्रदर्श पी. 16, 17 पर अंकित है, से मिलान करने पर विवादित हस्ताक्षर चैक प्रदर्श पी. 5 पर ए से बी से एक हस्ताक्षर से समानता पायी गई, अन्य दो हस्ताक्षरों से कोलप्रकाश के हस्तलेख/हस्ताक्षर की तुलना नहीं की गई है। अन्य हस्ताक्षर सी से डी रामचंद के हस्ताक्षरों की तुलना रामचन्द्र के स्पेसिमैन हस्ताक्षर एस 1 से एस 27 व स्वीकृत हस्ताक्षर बी1 से बी4 जो बैंक में प्रस्तुत नमूना हस्ताक्षर है, से मिलान किया गया है, जिसमें एस 1 से एस 27 का स्पेसिमैन हस्ताक्षर एस 1 से एस 27 का विवादित हस्ताक्षर Q2 से भिन्नता पायी गई परंतु उक्त निष्कर्ष में रामचंद के स्वीकृत हस्ताक्षर जो कि प्रदर्श पी. 25 पर बी1, बी2 व प्रदर्श पी.26 पर बी3 व बी4 है, उनसे मिलान किया गया हो व उनसे भिन्नता पायी गई हो, ऐसा कोई निष्कर्ष एसफएसएल की परिणाम रिपोर्ट में अंकित नहीं है। केवल स्पेसिमैन हस्ताक्षर से ही भिन्नता होने का अंकन है। इसी प्रकार परिवादी रामधन, अध्यक्ष के विवादित हस्ताक्षर Q3 उसके स्पेसिमैन हस्ताक्षर टी1 से टी27 से भिन्न पाए गए परंतु स्वीकृत हस्ताक्षर सी1 से सी4 जो कि बैंक में प्रस्तुत नमूना सैंपल हस्ताक्षर है, से मिलान किया हो व भिन्नता पायी गई हो, ऐसा कोई अंकन उक्त रिपोर्ट में नहीं है। इस प्रकार एफएसएल रिपोर्ट में विवादित चैक व हस्ताक्षर व हस्तलेख के अभियुक्त शंकरगिरी के होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा जरिए रिटर्न मीमो प्रदर्श पी. 27 में बचत खाते का संचालक समिति व्यवस्थापक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से व्यवस्थापक के हस्ताक्षर आवश्यक है, चैक पर हस्ताक्षर नहीं होने से रिटर्न किया गया है, परंतु उस समय व्यवस्थापक के पद पर कौन था उसके क्या हस्ताक्षर थे बैंक में उसका किन हस्ताक्षरों से मिलान नहीं हुआ, इस संबंध में बैंक में मौजूद कोई एडमिटेड हस्ताक्षर तत्कालीन व्यवस्थापक के पेश नहीं किए गए हैं ना ही स्पेसिमैन हस्ताक्षर तत्कालीन व्यवस्थापक के लिए गए हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर चैक पर नहीं हो या उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों से भिन्न हो, रिर्टन मीमो पर ऐसी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है, केवल व्यवस्थापक के हस्ताक्षर नहीं होने से रिटर्न किया है। एफएसएल रिपोर्ट में भी

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः रामधन व रामचन्द्र के चैक पर अंकित हस्ताक्षरों की उनके बैंक में स्वीकृत हस्ताक्षरों से तुलना नहीं किए गए हैं ना ही उनके संबंध में कोई निष्कर्ष दिया गया है केवल स्पेसिमैन हस्ताक्षरों के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है, जिससे भी स्वीकृत हस्ताक्षर के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट में निष्कर्ष नहीं होने से एडमिटेड हस्ताक्षरों से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चैक पर वर्णित हस्ताक्षरों से भिन्नता रहीं हो यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त शंकरगिरी के स्पेसिमैन हस्ताक्षर यू1 से यू72 व एडमिटेड हस्ताक्षर बी1 से बी4, सी1 से सी4 के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, बल्कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई भी राय दिया जाना संभव नहीं बताया है। अनुसंधान अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट प्राप्ति पर और सामग्री प्राप्त की हो व उनसे अभियुक्त के हस्ताक्षर व हस्तलेख की विवादित चैक पर उपलब्ध हस्तलेख व हस्ताक्षरों की तुलना हेतु एफएसएल जांच करवाई हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः जो एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि विवादित चैक प्रदर्श पी. 5 पर जो हस्ताक्षर व इबारत अंकित है वह अभियुक्त के ही हस्तलेख में है। अतः उक्त एफएसएल रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त चैक पर अभियुक्त के द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरों की कूटरचना की गई व अपने पक्ष में चैक धनराशि 97,000/–रुपये भरी गई ना ही बैंक पर्ची प्रदर्श पी. 6 पर वर्णित इबारत की कोई एफएसएल जांच करवाई गई ना ही उस पर जमाकर्ता के हस्ताक्षरों की कोई जांच करवाई गई। उक्त पर्ची किसके द्वारा कब पेश की गई, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। अभियुक्त कोलप्रकाश जिसकी दौराने विचारण मृत्यु हो चुकी है, के साथ अभियुक्त ने उपस्थित होकर उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत किया हो यह तथ्य भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त चैक दस्तावेज प्रदर्श पी. 5 पर रामचन्द्र ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए हो, यह तथ्य भी संदेहास्पद है क्योंकि रामचंद पी.ड. 3 ने दौराने अनुसंधान चैक स्वयं को दिखाए जाने से इनकार किया है। चैक के संबंध में उससे कोई पूछताछ की गई हो, इस तथ्य से भी इनकार किया है। बैंक से चैक का

अनादरण का कारण अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरों की उनके बैंक में मौजूद स्वीकृत हस्ताक्षर प्रदर्श पी. 25 व 26 से भिन्नता होना रहा हो यह दस्तावेज प्रदर्श पी. 27 से प्रकट नहीं होता है। रिटर्न मीमों में व्यवस्थापक के हस्ताक्षर नहीं होने से अनादरण हुआ है, परंतु व्यवस्थापक के बैंक में स्वीकृत हस्ताक्षर कौनसे थे, जिनसे मिलान नहीं हुआ, वे प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाए हैं।

इसके अतिरिक्त दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो स्पेसिमैन हस्ताक्षर लिए गए हैं, उन्हें खुली अवस्था में ही एफएसएल जांच को प्रेषित किए जाने से उनकी सत्यता पर संदेह व्यक्त किया है व जिस अधिकारी के समक्ष उक्त हस्ताक्षर लिए गए थे, उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाने से भी उक्त हस्ताक्षरों का संदेहास्पद होना बताया है। जिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के स्पेसिमैन हस्ताक्षर होना बताया गया है, उक्त गवाहों से उनके स्पेसिमैन हस्ताक्षरों को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है ना ही पूछताछ की गई है। अतः उक्त स्पेसिमैन हस्ताक्षर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के ही हों यह तथ्य भी संदेहास्पद है। इस संबंध में गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में चैक पर अंकित इबारत अध्यक्ष रामधन व उपाध्यक्ष रामचन्द्र के जो स्पेसिमैन हस्ताक्षर लिया जाना अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में बताया है। उक्त स्पेसिमैन हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रदर्शित करवाए गए हैं, परंतु गवाहान रामचन्द्र व रामधन से उक्त हस्ताक्षर दौराने अनुसंधान उनसे लिए गए हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है ना ही उक्त गवाहान से मुख्य परीक्षा में उक्त हस्ताक्षरों की पुष्टि करवाई गई है। जिसके समक्ष उक्त नमूना हस्ताक्षर लिए गए हैं, उक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अरांई को भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे दौराने अनुसंधान उक्त स्पेसिमैन हस्ताक्षर लिए जाने के पुष्टि गवाहान की साक्ष्य से नहीं हुई है।

31. इसके अतिरिक्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि प्रदर्श पी. 24 जिस पर **अध्यक्ष रामचन्द्र व उपाध्यक्ष रामधन**

के हस्ताक्षर हैं, उन दोनों गवाहान ने सशपथ कथन करते हुये प्रदर्श पी 24 पर उनके हस्ताक्षर नहीं होना, प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी रामचन्द्र द्वारा प्रदर्श पी 24 विवादित चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होना कहा जाना व विशेषज्ञ साक्ष्य में भी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 के द्वारा प्रदर्श पी 24 पर रामचन्द्र व रामधन के हस्ताक्षर स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाने का अंकन किया है, **परंतु** उक्त निष्कर्ष के संबंध में साक्ष्य का व दस्तावेज एफएसएल रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जो एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 प्रस्तुत की गई है, उसमें निष्कर्ष रिपोर्ट में रामचन्द्र व रामधन के स्वीकृत हस्ताक्षर दस्तावेज प्रदर्श बी1 से बी4 व सी1 से सी4 से कोई मिलान होने या नहीं होने बाबत निष्कर्ष परिणाम के बिन्दु सं. 2 व 3 नहीं दिया गया है केवल स्पेसिमैन हस्ताक्षर क्रमशः एस 1 से एस 27, टी1 से टी27 के संबंध में ही निष्कर्ष दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाने बाबत जो तथ्य अंकित किया है, वह प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी. 8 की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है, जो तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदर्श पी. 24 पर रामचंद्र व रामधन के कूटरचित हस्ताक्षर किए गए हैं। कूटरचित हस्ताक्षर किसके द्वारा किये गये हैं इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपधारणा की गई है वह अभियुक्त के द्वारा चैक बुक तत्कालीन व्यवस्थापक को नहीं सौंपने बाबत दस्तावेज प्रदर्श पी. 29 के आधार पर दी गई है तथा यह निष्कर्ष दिया गया है कि चैक बुक शंकरगिरी द्वारा तत्कालीन व्यवस्थापक को नहीं सौंपी गई। अब यदि चैक बुक जब शंकरगिरी के कब्जे में ही है तो दस्तावेज की कूटरचना भी शंकरगिरी द्वारा की जाएगी। उक्त उपधारणा एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर की गई है, जो व्यवस्थापक गोपाल लाल द्वारा बैंक में दिनांक 19.05.2000 को दिए जाने के आधार पर पाया गया है, परंतु गोपाल लाल द्वारा उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी. 29 जो कि एक प्रार्थना पत्र है, वह कब दिया गया था, इस संबंध में बैंक का कोई पृष्ठांकन उक्त प्रार्थना पत्र पर नहीं है, केवल दिनांक अंकित है एवं पत्र का क्रमांक अंकित नहीं है। गोपाललाल, जिसके द्वारा उक्त

प्रार्थना पत्र बैंक में प्रस्तुत करना बताया गया है, वह उसे प्रस्तुति के समय व्यवस्थापक था या नहीं, यह तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है ना ही इस बाबत कोई नियुक्ति पत्र पेश किया गया है। व्यवस्थापक गोपाल लाल को शंकरगिरी से चार्ज प्राप्त हुआ, यह तथ्य स्वयं गोपाल लाल पी.ड. 15 की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार प्रकट नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में व्यवस्थापक गोपाल लाल ने शंकरगिरी से चार्ज प्राप्त किया हो, यह तथ्य ही संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि उक्त गवाह ने व्यवस्थापक अमरसिंह राठौड़ से चार्ज प्राप्त होना बताया है तथा चार्ज लिस्ट साक्ष्य में पेश नहीं करने का कथन किया है। अमर सिंह राठौड़ द्वारा प्राप्त चार्ज लिस्ट में चैक बुक की जानकारी नहीं होना बताया है। अतः व्यवस्थापक गोपाल लाल को शंकरगिरी से चार्ज मिलना स्वयं उक्त गवाह की साक्ष्य से संदेहास्पद है। अमरसिंह राठौड़, व्यवस्थापक रहा हो, किसी भी गवाह ने कथन नहीं किया ना ही दस्तावेज पेश किया ना ही चार्ज लिस्ट पेश की है। अतः उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी. 29 मात्र प्रार्थना पत्र है, उसके समर्थन में कोई ठोस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। शंकरगिरी द्वारा भागचंद को चार्ज दिया जाने की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 33 पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट में चैक का आदान प्रदान नहीं हुआ हो ऐसा कोई नोट अंकित नहीं है या कोई दस्तावेज या चैक बुक बकाया हो यह भी अंकित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी. 29 किस आधार पर बैंक में प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई आधार अभियोजन द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः प्रदर्श पी. 29 के आधार पर अभियुक्त के पक्ष में जो उपधारणा की गई है वह विधि मान्य नहीं है। साक्ष्य को उपधारणा से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जबकि अभियोजन द्वारा अपना प्रारंभिक भार विवादित चैक प्रदर्श पी. 5 पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर व अन्य लेख की कूटरचना करने, उसे बैंक में प्रस्तुत करने का तथ्य साबित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त निष्कर्ष भी विधिक व तथ्यों की त्रुटि होना प्रकट होता है।

32. इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध समिति में गबन किए जाने चैक का

चार्ज नहीं दिए जाने बाबत सहायक रजिस्ट्रार का आदेश प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदर्श पी. 35ए है, जिसमें अभियुक्त के द्वारा 12–13 लाख की अनियमितता व गबन की संभावना आंतरिक जांच रिपोर्ट में दर्शाने पर दिनांक 19.05.2000 को शंकरगिरी को निलंबित करना जिसकी पुष्टि आमसभा द्वारा किए जाने से उसके विरूद्ध दिए गए आरोप पत्र को प्रभाव शून्य माने जाने का आदेश अंकित है, परंतु अभियुक्त के विरूद्ध समिति द्वारा क्या आरोप लगाए गए थे, उनमें क्या निर्णय दिया गया था किस आधार पर आमसभा ने उसे पुष्ट किया था, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अर्थात् उक्त आदेश में जिन निर्णयों व प्रस्तावों का उल्लेख है ऐसे कोई प्रस्ताव, निर्णय, पुष्टिकारी आदेश, आरोप पत्र इत्यादि साक्ष्य में पेश नहीं किए गए हैं। हस्तगत प्रकरण के चैक सं. 11215 का मामला पुलिस जांच में चल रहा होना उक्त आदेश में बताया है। अतः हस्तगत मामले से भिन्न अन्य किसी मामले में यदि अभियुक्त आरोपित व निलंबित किया गया हो उसके आधार पर हस्तगत प्रकरण में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। चैक सं. 11215 की जांच में आंतरिक जांच कमेटी द्वारा क्या निष्कर्ष पाया गया ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। उक्त चैक की कार्यवाही के आधार पर निलंबन किया गया हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में गवाह पी.ड. 13 किशना व पी.ड. 12 भगवान सिंह ने अपनी साक्ष्य में अपने नाम से शंकरगिरी द्वारा फर्जी लोन उठाने का कथन किया है। **जिरह** में उक्त दोनों गवाहान ने हस्तगत प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज नहीं करवाना स्वीकार किया है व तथ्यों की जानकारी भी नहीं होना बताया है। पुलिस बयान भी नहीं होना बताया है। जबकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य को जिरह में अखंण्डनीय होना बताते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन करना बताया है। जबकि उक्त दोनों गवाहान ने अपनी जिरह में हस्तगत प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना पुलिस बयान नहीं होना बताते हुए हस्तगत प्रकरण उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज कराया हो, उससे इनकार किया है। उक्त दोनों गवाहान ने शंकरगिरी द्वारा उनके नाम से फर्जी लोन लेने बाबत साक्ष्य दी है। हस्तगत प्रकरण

में चैक पर अभियुक्त द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। अतः उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का समर्थन होने बाबत जो निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह भी प्रस्तुत साक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी. 5 पर समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरों की कूटरचना करना, स्वयं के नाम से इबारत भरना व उक्त चैक को बैंक में स्वयं द्वारा राशि 97,000/–रुपये प्राप्त करने हेतु पेश करना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। अभियुक्त ने अपने खाते में कोई राशि प्राप्त की हो, इस बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है।

33. इस प्रकार से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त का अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षड़चंत्र रचते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में कोऑपरेटिव सोसायटी के चैक सं. 11215 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कूटरचित हस्ताक्षर करते हुए व कूटरचित रूप से इबारत अपने पक्ष में लिखते हुए पेश किया गया हो व समिति के 97,000/–रुपये बेईमानीपूर्वक प्राप्त करने के आशय से उसे अपने खाते में लगाया हो व धोखाधड़ी की हो, यह तथ्य साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

34. अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने जो आक्षेपित निर्णय/दण्डादेश पारित किया है, वह साक्ष्य एवं विधि की सही विवेचना करते हुए पारित नहीं किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय/दण्डादेश दिनांक 14.06.2018 अपास्त किये जाने योग्य है तथा अभियुक्त धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

**– आदेश–**

35. परिणामतः **अपीलार्थी/अभियुक्त शंकरगिरी** पुत्र श्री रामगिरी निवासी वार्ड नं. 7. श्रीजी का मोहल्ला, कस्बा अरांई पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर (राज)

की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय/दंडादेश दिनांक 14.06.2018 को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी/अभियुक्त शंकरगिरी को अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के न्यायालय में पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है। अभियुक्त को इस आदेश की अपील होने की दशा में अपील न्यायालय में उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक धारा 437ए जाप्ता फौजदारी के तहत 10,000/–रूपये राशि की जमानत, इस कदर राशि के मुचलके पेश कर तस्दीक कराये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत यदि कोई हो तो, को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब भिजवायी जावे।

**(शालिनी शर्मा)**
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2,
किशनगढ़ जिला अजमेर।

36. निर्णय आज दिनांक 13.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(शालिनी शर्मा)**
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2,
किशनगढ़ जिला अजमेर।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II
“Authenticated Document”
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.06.15 11:51:28 +0530

“Authenticated Document”